

**मूल वाद में (अंतिम) डिक्री**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारी:-

साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या  
204/17

दायरा दिनांक  
04.08.2017

निर्णय दिनांक  
26.10.2018

1 श्रीमती प्रमीला पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उलाहेडी तह0 मुण्डावर हाल पत्नी दिनेश कुमार जाति अहीर निवासी बावडी तहसील नीमराना जिला अलवर राज.

2 श्रीमती मुकेश पुत्री रामस्वरूप जाति अहीर निवासी उलाहेडी तह0 मुण्डावर हाल पत्नी नरेश कुमार जाति अहीर निवासी बावडी तहसील नीमराना जिला अलवर राज.

वादीनीगण

बनाम

1 तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज.


प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज

वादीगण की ओर से श्री सतीश कुमार यादव द्वितीय एडवोकेट की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 26-10-2018 को साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

आराजी खसरा नम्बर 520/0.54, 609/0.19 हैक0 वाके ग्राम उलाहेडी तहसील मुण्डावर के बाबत रामस्वरूप नवीरा पीथा के वारिसान मानते हुए वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे"

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.10.2018 मे मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(साधुराम जाट) 26/10/18  
उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहायक कलकूट, मुण्डावर  
मुण्डावर (अलवर) राज.